कुछ अलग

तेरह दिन में 5.45 लाख आवेदन, एसएमएस से ली जा सकती है कार्रवाई की जानकारी

आरटीएस में एक-एक आवेदन की निगरानी

पटना | विजय कुमार

राइट टू सर्विस एक्ट लागू होने के बाद से सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की हो रही है सख्त निगरानी। प्रखंड, अंचल, जिला और पुलिस कार्यालयों में आने वाले एक-एक आवेदन का हिसाब प्रतिदिन सामान्य प्रशासन विभाग और प्रशासनिक सुधार मिशन आरटीएस से जुड़े 1000 अफसरों से ले रहा है।

इस प्रक्रिया ने राज्यकर्मियों के कामकाज का हिसाब रखना भी आसान बना दिया है। अब किसी अफसर या कर्मचारी ने अनदेखी की तो बचना मुश्किल होगा। राज्य के दस सरकारी विभागों की 50 सेवाओं को 16 अगस्त से राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाया गया है। उस दिन से अबतक विभिन्न कार्यालयों को 5.45 लाख आवेदन मिले। इसमें से लगभग 80 हजार का निपटारा हो गया है। इस कानून ने भ्रष्टकर्मियों की मुट्ठी गर्म करने की 'अनिवार्यता' या पैरवी की 'बाध्यता' खत्म कर दी है। बिहार में ही तैयार सॉफ्टवेयर 'अधिकार' के माध्यम से आवेदनों की ट्रैकिंग की व्यवस्था की गयी है। इससे पता रहता है कि किस अफसर के पास कितने आवेदन आए और कितने पर कार्रवाई हुई है? लोगों की सहायता के लिए जिलों में एक 'मे आई हेल्प यू' काउंटर खोला गया है। आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसी समय 18 अंकों का यूनिक नंबर दिया जायेगा। इससे आवेदन पर कार्रवाई की ऑनलाइन जानकारी ली जा सकेगी।

मिले आवेदनों का हाल

कार्य	आवेदन	निपटारा			
आवासीय प्रमाणपत्र	200000	11000	आय प्रमाण पत्र	91000	4800
जाति प्रमाणपत्र	127000	8200	चरित्र प्रमाण पत्र	14000	2250
			परिवहन	29000	5200

राइट टू सर्विस

सेवा मिलने में सुविधा बिना कोई बाधा

एसएमएस से लें जानकारी

आवेदक यूनिक नंबर का इस्तेमाल करके मोबाइल के जरिये कार्रवाई की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाइल के राईट मैसेज में जाकर आरटीपीएस लिखने के बाद 18 अंकों वाला यूनिक नंबर टाइप कर 56677 पर मैसेज भेजना होगा।

कार्यालयों में कैसे होगा काम

- आवेदन सुबह 10.30 बजे से 1.30 बजे तक जमा होंगे
- 2.30 बजे से 4.30 बजे तक आवेदनों का वितरण हो जायेगा
- 4.30 बजे के बाद आंकड़ों और सेवाओं का नोटिस प्रकाशन